न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिह रतनू आरएएस.
उनवान :– विविध प्रकारण संख्या 149/2020

1. सतपाल पुत्र श्री राजा राम उम्र 51 वर्ष
2. सन्दीप पुत्र श्री राजा राम उम्र 49 वर्ष
3. रविन्द्र पुत्र श्री राजा राम उम्र 47 वर्ष
4. सुनील बिश्नोई पुत्र श्री राजा राम उम्र 45 वर्ष
5. प्रमिला देवी पत्नि श्री रामस्वरूप उम्र 57 वर्ष
6. सुमन पुत्री रामस्वरूप उम्र 28 वर्ष
7. पवना पुत्री रामस्वरूप उम्र 26 वर्ष
8. प्रियंका पुत्री रामस्वरूप उम्र 24 वर्ष
9. रेणू पुत्री रामस्वरूप उम्र 22 वर्ष

} अकवाम बिश्नोई साकिन 1डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. अश्वनी कुमार पुत्र श्री बद्री राम अकवाम बिश्नोई साकिन 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. विजय कुमार पुत्र श्री बद्री राम अकवाम बिश्नोई साकिन 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण — — प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज — — अप्रार्थी 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :–15.03.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 23 ता 25 में 0.3290 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 3 ता 5, 13 ता 18, 23 ता 25 में 2.6950 हैक्टयर नहरी मय गैर मुमकिन ढाणी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमे प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

है व प्रार्थीगण संख्या 5 ता 9 के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत्। 2071–2074 शामिल प्रार्थना पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 डी छोटी के खाता संख्या 79/65 मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 22 में 0.1270 हैक्टयर, मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 2/1 में 0.1640 हैक्टयर, किला नं. 12/2, में 0.1140 हैक्टयर, किला नं. 19, 22 में 0.5060 हैक्टयर नहरी मरब्बा नं. 43 के किला नं. 2/2 में 0.1140 है। नहरी, किला नं. 2/3 में 0.0130 हैक्टयर, किला नं. 3/6 में 0.0880 है0 गैर मुमकिन ढ़ाणी, किला नं. 3/7 में 0.0380 है0, किला नं. 4/1 में 0.2280 है0 नहरी, किला नं. 4/2 में 0.0250 है। खाला, किला नं. 8/1 में 0.1260 है। नहरी, किला नं. 13/2 में 0.1270 है। नहरी, किला नं. 18/2 में 0.1260 है। नहरी, किला नं. 23/2 में 0.1260 है। नहरी कुल 1.9220 हैक्टयर नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन ढ़ाणी राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 शामिल प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण अपने खेत में मुरब्बा नं. 17 चक 3 डी छोटी के किला नं. 1 ता 5 में मंजूरशुद्धा पक्की सड़क बनी हुई है जिसमे से होकर ही यह मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 23, 18, 13, 8, 3 से होते हुए अपने मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 23 मे प्रवेश करते है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण को अपने खेत मे आने जाने के लिए अन्य कोई नजदीक व दुरस्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण फसल सावणी हाड़ी के वक्त रास्ता मे गुरजने वक्त ऐतराज करते है व रास्ता में रूकावट पैदा करते है इस कारण इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे मंजूर करवाया जाना आवश्यक व जरूरी है ताकि पक्षकारान में कोई बेवजह मनमुटाव पैदा नहीं हो। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण से कहा कि जो मौके पर रास्ता चल रहा है उसको मंजूर करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि राजस्व रिकार्ड में चल रहे रास्ता का अंकन हो जावे पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो रास्ता मंजूर करवाने में अपनी सहमति नहीं देते है और ना ही इस चाल रास्ता को चलने देगें इसे बन्द करेगें। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है जो प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खेत जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नहीं है इस रास्ता के बदले प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. रेट की डबल राशि देने को तैयार है ताकि मौका पर चल रहा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे मंजूर हो जावे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर चक 1 डी छोटी मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 23, 18, 13, 8, 3 में 12–12 फुट अर्थात् डेढ–डेढ बिस्वा रकबा पूर्व दिशा को चिपते हुए इसी मुरब्बा के किला नं. 24, 17, 14, 7, 4 से दिया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23 में डेढ़–डेढ बिस्वा रास्ता अर्थात 0.019–0.019 हैक्टर स्वीकार कर रास्ता मंजूर कर लिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव है, अतः प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 डी छोटी मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 23, 18, 13, 8, 3 में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

...-12 फुट अर्थात् डेढ–डेढ बिस्वा रकबा पूर्व दिशा को चिपते हुए इसी मुरब्बा के किला नं. ... 17, 14, 7, 4 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। ...वली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.03.2021 को जारी ...जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर